भागवत कथा - 6

अन्वरसि (MCA)

यह कथा है, तमिलनाडू के कथिमारसिंगापुरम् के रहने वाले सीनिपान्डियन की 21 साल की कन्या अन्वरसि की। जब मुरलियों की धुन कांपिल्यनगरी से कथिमारसिंगापुरम्, तमिलनाडू तक पहुँची तो उन्हीं ज्ञान-मुरलियों के आकर्षण के पीछे निकल पड़ी कन्या अन्वरसि। अब अन्वरसि के माँ-बाप अन्वरसि की शादी करने का प्लैन बनाने लगे, अन्वरसि ने उस बात का विरोध किया और पवित्र रहकर ईश्वरीय सेवा में जीवन अर्पण करने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की । अन्वरसि के माँ-बाप और अन्य रिश्तेदारों ने उसकी इच्छा का विरोध किया और उसे रोकने की कोशिश की, तो शुरू हुई भागवत अन्वरसि की।

Bhagawat Story-6

Anbarasi:

This is the episode by anbarasi aged 21years, daughter of Seenipandyan of kathimarsingapuram of Tamilnadu. When the tunes of Murali reached kathimarsingapuram down to South from Kampilya nagari, the girl Anbarasi ran behind the depths of Jnaan Muralies. When the parents of Anbarasi started pressurizing the girl to get her married, she refuted their attempts and expressed her firm desire to maintain purity and involve herself in Godly Service for the rest of her life. The escapade (Bhagawat) started when her parents and other relatives started to confine her to their tunes.

अन्वरसि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के परिवार के साथ अगस्त, 2008 में जुड़ गई और वयस्क होने के कारण उसने अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों की धमकियों पर ध्यान न देते हुए अपने-आप को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया एवं दिनांक 13-08-2008 को फ़र्रुखाबाद, कोयंबटूर और दिल्ली के पुलिस अधीक्षकों को ऊपर बताई हुई बातें स्पष्ट करते हुए, अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों से रक्षण माँगते हुए पत्र सौंपा।

Anbarasi joined the "AVV family" during August 2008 and being major and not caring for the pressures from her parents and relatives surrendered herself for the cause of Godly Service and addressed letters to the S.Ps of Coimbatore as well Farrukhabad on 13-08-2008 making it clear to them that she was a major and joined the "AVV family" at her volition. She has also requested the authorities to provide Police protection from her parents as well relatives.

जब अन्वरसि के माता-पिता ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के विरुद्ध आरोप लगाया कि वे उनकी बेटी को बंधक बनाकर मार-पीट कर रहे हैं और गैरकानूनी काम करने के लिए उकसा रहे हैं, इस कारण अन्वरसि को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से छुड़ाकर उन्हें सौंपा जाए, तब अन्वरसि को अपने कदम फ़र्रुखाबाद के थाने की ओर आगे बढ़ाने पड़े। फ़र्रुखाबाद थाने में ता.05-12-2008 को शपथपूर्वक बयान देते हुए अन्वरसि ने अपने माँ-बाप के सारे आरोपों का खंडन किया और यह स्पष्ट किया कि वह आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी के दबाव के राजी-खुशी से रह रही है। तब उसके माँ-बाप को यह बात माननी ही पड़ी और अन्वरसि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के साथ जुड़ी रही।

When they complained to the police that the "AVV family" members have detained her, subjecting her to harassment and inciting her towards illegal deeds and requested the Police to release her from the clutches of "AVV family" , then Anbarasi had to step towards the Police authorities at Farrukhabad. She has refuted the allegations instigated by her parents before the Police authorities while making it clear in her statement on 05-12-2008 before them that she was a major and residing happily with the "AVV family" at her own volition and without any pressures by anybody. And their parents had no other go except accepting her version. Now Anbarasi is happy with "AVV family" proceeding towards her aims and ambitions.

The rest of the episodes to continue.

मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, आश्रम पर ही रहूंगी - अम्वरसि

पत्रकारों को जानकारी देतीं अम्वरसि व कनाडा का एक युवक।

(आज समाचार सेवा)

फर्रुखाबाद 11 सितम्बर कुछ दिन पूर्व से तमिलनाडु से यहां एक युवती बाबा वीरेन्द्र देव आश्रम पर रहने लगी थी। जब उसके परिजनों को सूचना मिली तो परिजन अपनी पुत्री को लेने के लिये एक दरोगा के साथ आश्रम पर पहुंचे थे। जहां पर वह युवती आश्रम से चली गई थी। आज वही युवती आश्रम पर आ गई। जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के बीच जनपद तेनी तमिलनाडु निवासी अम्वरसि पुत्री पी.पाण्ड्यान उम्र २२ वर्ष ने आज पत्रकारों को बताया कि मैं एम.सी.ए.की छात्रा हूं। मेरी मुलाकात बाबा वीरेन्द्र देव से दिल्ली मे हुई थी। जब से मैं उन्हें भगवान मानने लगी हूं। इन्टरनेट के जरिये बाबा वीरेन्द्र देव आश्रम सिकत्तर बाग का पता मिला। उस पते के आधार पर मैं यहां आ गई। युवती अम्वरसि ने बताया कि मैं तीन महिने अपने पड़ोस में ब्रम्हाकुमारी आश्रम में भी शिक्षा ग्रहण कर चुकी हूं। उन्होंने बताया कि मेरे पिता एक हास्टल में चपरासी हैं। और मेरी दो बहने हैं जिनका नाम शशि व कोकिला है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में महिलाओं को गलत निगाह से देखा जाता है। इसलिये मैं यहां पर चली आई हूं। जब उनसे पूछा गया कि बाबा वीरेन्द्र देव पर कई मामले बलात्कार आदि अपराधों के दर्ज हैं जिस पर युवती का कहना था कि यह मामले गलत हैं। बाबा गलत नहीं हैं, वह भगवान हैं। कनाडा से आये एक युवक ने बताया कि बाबा वीरेन्द्र देव आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है। यहां पर बहुत शान्ति मिलती है। वह भगवान की तरह हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। वह भले आदमी हैं। बताया गया है कि इस समय बाबा विदेश में रह रहे हैं।

इससे पूर्व पल्ला चौकी प्रभारी के.सी.द्विवेदी भी आश्रम पर पहुंचे। जहां पर वह यह कहकर चले आये कि मीडिया के बाद मैं वार्ता करूंगा। अधिवक्ता ए.के.शर्मा, श्यामू पाण्डेय के बीच युवती अम्वरसि ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान पुरुषोत्तम दद्दा व केन्द्र की महिलायें मौजूद रहीं।

संत बि

फर्रुखाबाद,
भू-दान आंदोल
किया गया। इ
कार्यों पर प्रका
सर्वोदयी नेता ड
योग्य थे, उन्हों
है। लेकिन बि
स्थापित किये।
हुये हैं। उन्हों
जिसमें अंग्रेजी
हेतु सक्षम कर
से दान में भूमि
जून की रोटी म
परिवार का जी
आज भी आम
काल्पनिक त
बाबू पुरवार,वी
सहित तमाम

फर्रुखाबाद
यादव अपने
एक ठेके पर
गया। सूचना
आयी। नेत्रपा
के बाद शिक्ष

से मारने की मुकदमा दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष एसके सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के घर पर दबिश दी जा रही है।

अधिकारियों को अवगत कराएंगे, जिससे कि जल्द ही ट्रायल के तौर पर गाड़ी चलाई जा सके। इससे पहले जोशी ने जंक्शन की डीजल लाबी का निरीक्षण किया, स्टाक रजिस्टर चेक किए, जिसमें सब कुछ ठीकठाक मिला। जोशी ने यहां आलू व्यापारियों के साथ एक बैठक की और लदान को लेकर आ रही दिक्कतों का समाधान करने का आश्वासन भी

झगड़े में मिली सजा

हिन्दुस्तान संवाद फर्रुखाबाद

लाठी-डंडों से लैस होकर मारपीट करके चुटहिल कर देने के आरोप में न्यायाधीश ने राघवेंद्र सिंह और जुगेंद्रपाल को दोष सिद्ध हो जाने पर एक धारा के अंतर्गत एक वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं इन लोगों को एक दूसरे आरोप में छह माह के कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। तीसरे आरोप में इन लोगों को छह माह का कारावास ओर 500 रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया।

जुर्माना न अदा करने पर इन दोनों को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

तमिलनाडु से आई अंबरसी ने खोला रहस्य

निज संवाददाता फर्रुखाबाद

तमिलनाडु से बाबा वीरेंद्रदेव दीक्षित के अध्यात्म प्रेम में रंगकर यहां आई अंबरसी ने अपने पिता सी पांड्यान की बात को झूठा कर दिया। पिता द्वारा लगाया गया हत्या का आरोप उस समय मनगढ़ंत साबित हो गया, जब बाबा की इस शिष्या ने गुरुवार को देर शाम आश्रम के बाहर निकलकर पत्रकारों और पुलिस के समक्ष दो टूक लहजे में कह दिया कि तमिलनाडु में महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस वजह से उसने उस समूह से निकलकर अध्यात्म की उस गंगोत्री में गोता लगाया है, जहां धर्म, अध्यात्म और सत्संग की अनवरत गंगा बह रही हैं। जहां पुरुष और महिला का भेद मिट गया है। यहां केवल अविनाशी पुरुष ही बचा है। उसने कहा कि बाबा वीरेंद्रदेव के अध्यात्म पर उसे अगाध श्रद्धा है।

पत्रकारों से बात करती अंबरसी

बाबा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराते हैं।

उसका कहना है कि अब उसका परिवार और माता-पिता सब कुछ बाबा वीरेंद्रदेव दीक्षित हैं। इस अध्यात्म की नगरी से वह अब उस जगह नहीं पहुंचना चाहती, जहां पुरुष और महिला में भेद माना जाता है। चौकी प्रभारी इस युवती की बात सुनकर वापस लौट गए।

वह स्टेशन मास्टर कार्यालय गए और निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक

होता है। क्रू नियंत्रक ने बताया कि चालकों

आश्रम से प्रभावित होकर अपनी मर्जी से आई-अनवर्सी

फर्रुखाबाद। नगर के सिकत्तर बाग स्थित बाबा बीरेन्द्र देव आश्रम को लेकर आए दिन कोई न कोई मामला उठ रहा था। पहली बार आश्रम के व्यवस्थापकों ने पत्रकारों के सामने उस युवती को पेश किया। जिसके लिए बीते दिन उसके परिजन अपहरण का आरोप लगा रहे थे। युवती ने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से केंद्र पर आई है और अपनी मर्जी से ही यहां से वापस जाएगी।

तमिलनाडु से आई युवती अनवर्सी ने कहा कि उसके प्रांत में महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। उच्च शिक्षा लेने के दौरान उसकी मानसिकता में बदलाव आया और वह बाबा बीरेन्द्र देव की इंटरनेट की बेवसाइट से प्रभावित होकर यहां आई है। उसने कहा कि उसकी मुलाकात दिल्ली में बाबा से हुई थी। यहां की संस्कृति से वह बेहद प्रभावित है। इससे उसके मन में

शांति मिलती है। उसने बताया कि उसकी दो बहनें हैं। यहां आने से पहले वह तमिलनाडु में ब्रहमकुमारी आश्रम में भी कुछ समय के लिए रही थी। उसने कहा कि उसके परिवार के लोगों ने आश्रम पर उसके अपहरण करने का आरोप लगाया गया। वह निराधार है। उसने बताया कि जब उसके परिवारीजन यहां आए थे तब वह केंद्र पर मौजूद नहीं थी। जब उसे इसका पता लगा तब वह अपनी बात कहने यहां आई है। इस दौरान केंद्र के श्यामू पांडे के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता एके शर्मा मौजूद रहे।